

फट्टे अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम अचलाराज वल्लु मेहराराज

मेहरे की ढाली

की ढाली सा. मेहरे की ढाली

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
सन्

मु.न. 37/2020

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 12-10-2020 | पटवारी हल्का मेहरे की ढाली ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्राथी ने संवत् 2020 में मौजा मेहरे की ढाली के खसरा संख्या 205 रकबा 0.0640 बीघा-किस्म भूमि राजस्थान पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22-10-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो। | |
| 22-10-2020 | तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल को एक भवत दिनांक 28-10-2020 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर | अचलाराज |

28-10-2020

पत्रावली आठ पेश हुई/ और साफल
मनुष्यदि। और साफल के विरुद्ध
एक तरफ काफवाही आगत के लाई
जाकर पत्रावली फलल सुगर है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर पत्रावली
फलल सुगर है। निर्णय सुके न्यायालय
के सुनाया जाय। पत्रावली फलल सुगर
हैकर दाखिल दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़नेर